वादपत्र साथ मे पेश

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद प्रकरण संख्या :– 78/2022

अनवान

1 जस्सु देवी पत्नि हीरा लाल कुमावत उम्र वयस्क निवासी गढवालो का खेडा, सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला–शाहपुरा

———वादीया

बनाम

1 लादू पिता देवी कुम्हार उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला–शाहपुरा
2 प्रेम पत्नि खाना कुम्हार उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला–शाहपुरा
3 रोडू पिता देवी कुम्हार उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला–शाहपुरा
4 सांवरा पिता माधु कुम्हार उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला–शाहपुरा
5 सोहनी पत्नि भैरू कुम्हार उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला–शाहपुरा
6 पांची पत्नि कजोड कुम्हार उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला–शाहपुरा
7 घीसी पत्नि सत्यनारायण कुम्हार उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला–शाहपुरा
8 राज. राज्य जरिये तहसीलदार फूलियाकलां जिला शाहपुरा

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री विजय पाराशर..................अधिवक्ता वादीया
पेरोकार सरकार......................विपक्षी क्रम 08
अनुपस्थित– प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07

निर्णय

दिनांक 02.08.2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया ने एक नियमित राजस्व वाद पत्र बाबत कब्जायाबी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सांगरिया पटवार हल्का क्षेत्र सांगरिया तहसील फुलियाकलां की सरहद में स्थित खसरा संख्या 2972 रकबा 0.58 हैक्टयर भूमि वादीया के खातेदारी अधिकारों में राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित है। उक्त आराजियात भूभाग की सीमाओं पर सीमाचिन्ह स्थापित किए जाने/पत्थरगढी कराये जाने बाबत वादीया/प्राथीया द्वारा न्यायालय श्रीमान में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण संख्या

Scanned with OKEN Scanner

28/2019 से पंजीबद्ध हुआ होकर, कालान्तर अवधि में प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 05.09.2019 के अनुपालन में हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा खसरान की पत्थरगढी/नपती दिनांक 25.05.2022 को की गई। जहां पर तैयार किए गये मौका पर्चा अनुसार आराजी संख्या 2972 रकबा 0.58 में से 0.06 हैक्टयर भूभाग पर प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 का अनाधिकृत कब्जा होना पाया गया है। जबकि प्रतिवादीगण का वर्णित आराजी भूभाग में कोई विधिक हक निहित नही है। महज कब्जा होने मात्र से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के कोई हक अधिकार उत्पन्न नही हो जाते है। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी में कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही होने से वर्णित खसरा के भूभाग का कब्जा पुनः वादीया को दिलाया जाना अति आवश्यक है।

अतः कि ग्राम सांगरिया पटवार हल्का क्षेत्र सांगरिया तहसील फुलियाकलां की सरहद में स्थित आराजी संख्या 2972 रकबा 0.58 में से 0.06 हैक्टयर भूभाग पर प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 द्वारा किए हुए अनाधिकृत कब्जे की बैदखली कर, भूभाग का कब्जा पुनः वादीया को दिलाये जाने आशय की डिक्री सादर पारित फरमाई जावें।

वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 07.12.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 07 विधिवत् तामील/सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से 07 एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। वादीया पक्ष द्वारा बतौर गवाह वादीया जस्सु देवी पत्नि हीरा लाल कुमावत उम्र वयस्क निवासी गढवालो का खेडा, सांगरिया का शहादत्त में शपथ–पत्र प्रस्तुत कराया गया जिसे शामिल मिसल कर, लाल स्याही से पी.डब्ल्यू–01 के अंकन कर वादपत्र से संलग्न राजस्व आधार अभिलेख, चालू जमाबन्दी सवंत् 2076–79, पत्थरगंढी मौका पर्चा दिनांकित 25.05.2022 पर क्रमशः प्रदर्श–1, 2 के अंकन किए गये।

पत्रावली में नियत हुए चरण में वादीया के विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया। न्यायालय द्वारा वादीया पक्ष को सुनकर, दावें की समस्त कलमों एवं उनके समर्थन में प्रदर्श कराये गये दस्तावेजात का विश्लेषण एवं परीक्षण किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम सांगरिया पटवार हल्का क्षेत्र सांगरिया तहसील फुलियाकलां की सरहद में स्थित आराजी संख्या 2972 रकबा 0.58 हैक्टयर भूमि वादीया के खातेदारी अधिकारों में राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित है। जो प्रदर्श दस्तावेज संख्या 01 चालू जमाबन्दी से साबित हुआ है। राजस्व प्रार्थनापत्र प्रकरण संख्या 28/2019 में पारित निर्णय दिनांक 05.09.2019 के अनुपालन में हल्का पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा खसरान की पत्थरगढी/नपती दिनांक 25.05.2022 को सम्पादित हुई एवं जहां पर तैयार किए गये मौका पर्चा अनुसार आराजी संख्या 2972 रकबा 0.58 में से 0.06 हैक्टयर भूभाग पर प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 का अनाधिकृत कब्जा होना पाया गया है। प्रदर्श दस्तावेज संख्या 02 मौका पर्चा दिनांकित 25.05.2022 के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित होना पाया गया है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि महज कब्जा होने मात्र से अचल सम्पति पर किसी के मालिकाना हक उत्पन्न नही हो जाते है। निसन्देह वादग्रस्त आराजियात के भूभाग पर प्रतिवादीगण का अनाधिकृत कब्जा साबित हुआ है, एवं अतिकर्मित भूभाग का स्वामित्व वादीया के हिस्से में होना वादीया पक्ष ने पूर्णतया सिद्ध किया है। पर्याप्त सबूत/दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण से ही इन तथ्यों में पारदर्शिता पाई गई है। इसी के फलस्वरूप वादीया की वांछना के मुताबिक कब्जा पुनः वादीया को दिलाया जाना न्यायालय न्याय संगत मानता है।

उपरोक्त व्याख्या के आधार पर तथा प्रर्दश कराये गये दस्तावेजात के विश्लेषण एवं परीक्षण पश्चात न्यायालय वादपत्र वादीया को स्वीकार किये जाने योग्य मानता है। वादीया पक्ष द्वारा दावे के माध्यम रखे गयी दलील/अभिवचन स्वीकृत किये जाते है।

::: आदेश :::

वाद-पत्र बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वादीया के खातेदारी अधिकारों में अभिलिखित वाके ग्राम सांगरिया पटवार हल्का क्षेत्र सांगरिया भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र धनोप तहसील फुलियाकलां की सरहद में स्थित आराजी संख्या 2972 रकबा 0.58 हैक्टयर भू-भाग की पुख्ता सीमा चिन्हों से पुनः नपती की जावें एवं नपती उपरान्त यदि वादीया के हक स्वामित्व के खसरे पर प्रतिवादीगण अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारीगण का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमित भूमि का कब्जा

प्रतिवादीगण से वादीया को सिपुर्द किया जावें। तहसीलदार फुलियाकलां तदनुसार पालना करें। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक. 02.08.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर फुलियाकला
जिला शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

—::मूल वाद में अन्तिम डिक्री::—

(आदेश 20 व नियम 06 एवं 07 जा. दी.)

पीठासीन अधिकारी — राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :— 78/2022

अनवान

1 जस्सु देवी पत्नि हीरा लाल कुमावत उम्र वयस्क निवासी गढवालो का खेडा, सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला—शाहपुरा

———वादीया

बनाम

1 लादू पिता देवी कुम्हार उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला—शाहपुरा
2 प्रेम पत्नि खाना कुम्हार उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला—शाहपुरा
3 रोडू पिता देवी कुम्हार उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला—शाहपुरा
4 सांवरा पिता माधु कुम्हार उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला—शाहपुरा
5 सोहनी पत्नि भैरू कुम्हार उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला—शाहपुरा
6 पांची पत्नि कजोड कुम्हार उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला—शाहपुरा
7 घीसी पत्नि सत्यनारायण कुम्हार उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला—शाहपुरा
8 राज. राज्य जरिये तहसीलदार फूलियाकलां जिला शाहपुरा

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— श्री विजय पाराशर..................अधिवक्ता वादीया
पेरोकार सरकार......................विपक्षी क्रम 08

अनुपस्थित— प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07

दिनांक 2.8.2024

वाद—पत्र बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 इस प्रकार स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है कि वादीया के खातेदारी अधिकारों में अभिलिखित वाके ग्राम सांगरिया पटवार हल्का क्षेत्र सांगरिया भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र धनोप तहसील फुलियाकलां की सरहद में स्थित आराजी संख्या 2972 रकबा 0.58 हैक्टयर भू—भाग की पुख्ता सीमा चिन्हों से पुनः नपती की जावें एवं नपती उपरान्त यदि वादीया के हक स्वामित्व के इस खसरे पर प्रतिवादीगण अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारीगण का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमित भूमि

Scanned with OKEN Scanner

का कब्जा प्रतिवादीगण से वादीया को सिपुर्द किया जावें। डिक्री की पालना में तहसीलदार फुलियाकलां को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर नपती के सम्बंध में पक्षकारान को न्युनतम 3 दिन पूर्व सूचित कर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें। यदि वादीगण के हक/हिस्से की भूमि का प्रतिवादीगण अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारीगण का कोई अनाधिकृत कब्जा पाया जाता है तो उक्त भू भाग से प्रतिवादीगण को बेदखल कर, कब्जा पुनः वादीया को सिपुर्द किया जावें।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर फुलियाकला
जिला शाहपुरा

यह डिक्री आज दिनांक 02.08-2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर फुलियाकला
जिला शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner